प्रेषक

उपायुक्त रेवाडी।

सेवा मे

निदेशक,
विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा चण्डीगढ।

कमांक /पंचायत दिनांक

विषयः– ग्राम पंचायत मनेठी की 1600 कनाल भूमि अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान खोलने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार को 99 वर्षो के लिए पट्टे पर देने बारे– Check List for selection of site for setting up of New AIIMS.

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र कमांक 837/पंचायत दिनांक 02.02.2019 के सन्दर्भ में।

सन्दर्भित पत्र द्वारा आपकी सेवा में ग्राम पंचायत मनेठी का नकल प्रस्ताव नं0 2 दिनांक 01.02.2019, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी खोल, उपमण्डल अधिकारी(ना0) रेवाडी की मौका निरीक्षण रिपोर्ट मूलरूप मे तथा अन्य दस्तावेजात की छाया प्रति सिफारिश सहित भेजकर अनुरोध किया गया था कि ग्राम पंचायत मनेठी पंचायत भूमि खसरा नं0 10//27(106–8), 11//26/2(70–14), 21//28/1(118–14), 22//27(191–7), 23//27(14–3), 26//27(57–10), 27//26(200–0), 28//27/1 (151–17), 39//26(100–7), 40//26(200–0), 41//27(85–10), 44//27(83–16), 45//26(194–18), 46//26(24–16) कुल रकबा 1600 कनाल (200 एकड) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार को अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान खोलने के लिए सरकार की नवीनतम हिदायतोनुसार 99 वर्षो के लिए पट्टे पर देने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करे। केस के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जो निर्धारित प्रपत्र तैयार किया हुआ है में इस बारे (अरावली पौधारोपण) कोई वर्णन नही था।

अब वन मण्डल अधिकारी, रेवाडी के पत्र कमांक 2112 दिनांक 03.02.2019 व खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, खोल की रिपोर्ट पत्र कमांक स्पे0–1 दिनांक 03.02.2019 (प्रति संलग्न) के अवलोकन उपरान्त ज्ञात हुआ है कि प्रस्तावित भूमि पर अरावली पौधारोपण किया हुआ है। यह क्षेत्र अरावली वन क्षेत्र में आता है। उक्त क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने से पूर्व वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रयोग्त एजेन्सी द्वारा भारत सरकार वन एंव पर्यावरण मन्त्रालय से उपरोक्त क्षेत्र के परिवर्तन हेतू अनुमति प्राप्त करना अति आवश्यक है। यह आपकी सेवा में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

सलंग्नः–उक्त।

कृतेः उपायुक्त रेवाडी।

पृ0कमांक 842–44 /पंचायत दिनांक 3/2/2019

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित की सेवा मे इस कार्यालय के पत्र पृ0कमांक 838–40/पंचायत दिनांक 02.02.2019 के निरन्तर मे सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1– प्रधान सचिव हरियाणा सरकार विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा चण्डीगढ।

2– अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग हरियाणा, चण्डीगढ।

3– वन मण्डल अधिकारी, रेवाडी को उनके पत्र कमांक 2112 दिनांक 03.02.2019 के सन्दर्भ।

कृतेः उपायुक्त रेवाडी।

नकल प्रस्ताव नं0 2 ग्राम पंचायत मनेठी खण्ड खोल जिला रेवाडी
दिनांक 01.02.2019

आज दिनांक 01.02.2019 को ग्राम पंचायत मनेठी की बैठक सरपंच श्री श्योताज की अध्यक्षता मे हुई जिसमे सरपंच द्वारा प्रस्ताव रखा की ग्राम पंचायत के प्रस्ताव नं0 5 दिनांक 20.04.2016 के अनुसार अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान खोलने के लिए पारित किया गयाा था। जिसकी स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग के आदेश पृ0कमांक एस0बी0ए0–4–2016/100121 दिनांक 09.11.2016 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति के कॉलम नं0 9 के अनुसार यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि केवल एक वर्ष के लिए मान्य होगी। इस पर अब तक कोई कार्यवाही ना होने के कारण निर्धारित अवधि मे यह कार्य नही हो सका। इसलिए ग्राम पंचायत पुनः विचार विमर्श करके प्रस्ताव नं0 5 दिनांक 20.04.2016 पर विचार विमर्श करे।

बैठक मे उपस्थित पंचायत सदस्यो द्वारा विचार–विमर्श करने उपरान्त निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणा मन्त्रालय, भारत सरकार को अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान के लिए 99 वर्षो के लिए एक रूपये, प्रति एकड प्रति वर्ष की दर से सरकार की नवीनतम हिदायतोनुसार पट्टे पर देने को सहमत है। यहा यह भी वर्णन किया जाता है कि 9015 कनाल 9 मरला भूमि ग्राम पंचायत के पास है। इस भूमि मे से 1600 कनाल (200 एकड) खसरा नं0 10//27(106–8), 11//26/2(70–14), 21//28/1(118–14), 22//27(191–7), 23//27(14–3), 26//27(57–10), 27//26(200–0), 28//27/1 (151–17), 39//26(100–7), 40//26(200–0), 41//27(85–10), 44//27(83–16), 45//26(194–18), 46//26(24–16) देने के लिए तैयार है तथा प्रस्तावित भूमि पर अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान बनाया जाना उचित है।

नकल प्रस्ताव खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी खोल व उपमण्डल अधिकारी(ना0) रेवाडी की मार्फत उपायुक्त महोदय रेवाडी की सेवा मे आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है। ग्राम पंचायत मे सरपंच सहित 15 सदस्ये है जिसमे से 13 सदस्यो के हस्ताक्षर तथा प्रस्ताव 3/4 बहुमत से पारित है।

1– श्री श्योताज सरपंच, हस्ताक्षर हिन्दी, 2–श्री विकम सिंह पंच हस्ताक्षर हिन्दी, 3–श्रीमति रेखा पंच हस्ताक्षर हिन्दी, 4– श्रीमति पिसता देवी पंच हस्ताक्षर हिन्दी, 5– श्रीमति मंजू देवी पंच हस्ताक्षर हिन्दी, 6–श्री रामजस पंच हस्ताक्षर हिन्दी, 7–श्री दलबीर सिंह पंच हस्ताक्षर हिन्दी, 8–श्री बलवन्त सिंह पंच हस्ताक्षर हिन्दी, 9– श्री राकेश पंच हस्ताक्षर हिन्दी, 10–श्रीमति सुमित्रा देवी पंच हस्ताक्षर अंग्रेजी, 11–श्री विनोद सिंह पंच हस्ताक्षर अंग्रेजी 12–श्री सतीश पंच हस्ताक्षर अंग्रेजी, 13–श्री रामस्वरूप पंच हस्ताक्षर अंग्रेजी।

नकल प्रस्ताव कार्यवाही मुताबिक असल है।

Attested

BD&PO

श्योताज
सरपंच

©2017 CANON U.S.A., INC. All rights reserved. Canon, the DIGIC logo, EOS and EOS Rebel are registered trademarks

प्रेषक

उपायुक्त रेवाडी।

सेवा मे

निदेशक,
विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा चण्डीगढ।

क्रमांक 925 /पंचायत दिनांक 06.02.2019

विषयः— ग्राम पंचायत मनेठी की 24 एकड 7 कनाल 7 मरला भूमि अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान खोलने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार को 99 वर्षो के लिए पट्टे पर देने बारे।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 837/पंचायत दिनांक 02.02.2019 के सन्दर्भ मे।

सन्दर्भाधीन पत्र द्वारा आपकी सेवा मे ग्राम पंचायत मनेठी पंचायत भूमि खसरा नं0 10//27(106—8), 11//26/2(70—14), 21//28/1(118—14), 22//27(191—7), 23//27(14—3), 26//27(57—10), 27//26(200—0), 28//27/1 (151—17), 39//26(100—7), 40//26(200—0), 41//27(85—10), 44//27(83—16), 45//26(194—18), 46//26(24—16) कुल रकबा 1600 कनाल (200 एकड) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार को अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान खोलने के लिए सरकार की नवीनतम हिदायतोनुसार 99 वर्षो के लिए पट्टे पर देने की स्वीकृति प्रदान करने हेतू केस भेजा गया था।

प्रस्तावित भूमि पर अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान खोलने के लिए दिनांक 04.02.2019 को संयुक्त सचिव श्री सुनील शर्मा भारत सरकार व अखिल भारतीय आर्यूविज्ञान संस्थान नई दिल्ली के मैडिकल अधीक्षक डॉ0 डी.के. शर्मा, द्वारा प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण उपरान्त अद्योहस्ताक्षरी (उपायुक्त,) अतिरिक्त उपायुक्त, उपमण्डल अधिकारी(ना0), जिला

विकास एंव पंचायत अधिकारी, खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, खोल व तहसीलदार, रेवाडी के साथ मिटिंग की गई तथा मिटिंग में उन्होने (संयुक्त सचिव श्री सुनील शर्मा भारत सरकार व अखिल भारतीय आर्यूविज्ञान संस्थान नई दिल्ली के मैडिकल अधीक्षक डॉ0 डी.के. शर्मा) बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणा मन्त्रालय, भारत सरकार को अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान खोलने के लिए 200 एकड भूमि दी है, उस भूमि के अतिरिक्त 24 एकड 7 कनाल 7 मरला भूमि संस्थान को और दी जाये।

अतः आपकी सेवा मे ग्राम पंचायत का नकल प्रस्ताव नं0 3 दिनांक 05.02.2019, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी खोल, उपमण्डल अधिकारी(ना0) रेवाडी की मौका निरीक्षण रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजात मूलरूप मे सिफारिश सहित भेजकर अनुरोध है कि ग्राम पंचायत मनेठी की प्रस्तावित भूमि खसरा नं0 44//27 मिन (51–0), 57//26 मिन (33–0), 58//27 (96–3), 73//25/2(6–8), 82//5/2 (6–8), व 82//6/1(6–8), कुल रकबा 24 एकड 7 कनाल 7 मरला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार को अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान खोलने के लिए सरकार की नवीनतम हिदायतोनुसार 99 वर्षो के लिए पट्टे पर देने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करे।

सलंग्नः–उक्त।

उपायुक्त रेवाडी।

पृ0क्रमांक 926–28 /पंचायत दिनांक 6.02.2019

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित की सेवा मे सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2– प्रधान सचिव हरियाणा सरकार विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा चण्डीगढ।

3– अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग हरियाणा

उपायुक्त रेवाडी।

नकल प्रस्ताव नं0 3 ग्राम पंचायत मनेठी खण्ड खोल जिला रेवाडी
दिनांक 05.02.2019

आज दिनांक 05.02.2019 को ग्राम पंचायत मनेठी की बैठक सरपंच श्री श्योताज की अध्यक्षता मे हुई जिसमे सरपंच द्वारा प्रस्ताव रखा कि दिनांक 04.02.2019 को संयुक्त सचिव श्री सुनील शर्मा भारत सरकार व अखिल भारतीय आर्यूविज्ञान संस्थान नई दिल्ली के मैडिकल अधीक्षक डॉ0 डी.के. शर्मा, उपायुक्त महोदय, रेवाडी, अतिरिक्त उपायुक्त महोदय, रेवाडी, उपमण्डल अधिकारी(ना0), रेवाडी, जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी, रेवाडी, खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, खोल व तहसीलदार, रेवाडी की मिटिंग में संयुक्त सचिव श्री सुनील शर्मा भारत सरकार व अखिल भारतीय आर्यूविज्ञान संस्थान नई दिल्ली के मैडिकल अधीक्षक डॉ0 डी.के. शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणा मन्त्रालय, भारत सरकार को अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान खोलने के लिए 200 एकड भूमि दी है। उस भूमि के साथ लगती हुई 24 एकड 7 कनाल 7 मरला भूमि की संस्थान को ओर आवश्यकता है। ग्राम पंचायत उक्त भूमि देने बारे विचार करे।

उपरोक्त प्रस्ताव पर पंचायत के उपस्थित सदस्यो द्वारा विचार विर्मश करके निर्णय लिया की ग्राम पंचायत द्वारा जो 200 एकड भूमि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार को अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान खोलने के लिए दी है और संस्थान को 24 एकड 7 कनाल 7 मरला भूमि और दी जानी है वह दी जावे। इसलिए ग्राम पंचायत खसरा नं0 44//27 मिन (51–0), 57//26 मिन (33–0), 58//27 (96–3), 73//25/2(6–8), 82//5/2 (6–8), व 82//6/1(6–8), कुल रकबा 24 एकड 7 कनाल 7 मरला भूमि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणा मन्त्रालय, भारत सरकार को अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान खोलने के लिए 99 वर्षो के लिए एक रूपये प्रति एकड प्रति वर्ष दी दर से देने के लिए तैयार है।

इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान के लिए स्वच्छ जल, ट्रीटमैन्ट प्लांट, बिजली आदि की सुविधा हेतू जितनी भूमि की आवश्यकता होगी, ग्राम पंचायत मांग अनुसार भूमि उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है।

नकल प्रस्ताव खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी खोल के माध्यम से उपमण्डल अधिकारी(ना0) रेवाडी के मार्फत उपायुक्त महोदय रेवाडी की सेवा मे आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है। ग्राम पंचायत मे सरपंच सहित 15 सदस्ये है जिसमे से 13 सदस्यो के हस्ताक्षर तथा प्रस्ताव 3/4 बहुमत से पारित है।

1– श्री श्योताज सरपंच, हस्ताक्षर हिन्दी, 2–श्री विक्रम सिंह पंच हस्ताक्षर हिन्दी, 3–श्रीमति रेखा पंच हस्ताक्षर हिन्दी, 4– श्रीमति पिसता देवी पंच हस्ताक्षर हिन्दी, 5– श्रीमति मंजू देवी पंच हस्ताक्षर हिन्दी, 6–श्री रामजस पंच हस्ताक्षर हिन्दी, 7–श्री दलबीर सिंह पंच हस्ताक्षर हिन्दी, 8–श्री बलवन्त सिंह पंच हस्ताक्षर हिन्दी, 9– श्री राकेश पंच हस्ताक्षर हिन्दी, 10–श्रीमति सुमित्रा देवी पंच हस्ताक्षर अंग्रेजी, 11–श्री विनोद सिंह पंच हस्ताक्षर अंग्रेजी 12–श्री सतीश पंच हस्ताक्षर अंग्रेजी, 13–श्री रामस्वरूप पंच हस्ताक्षर अंग्रेजी।

नकल प्रस्ताव कार्यवाही मुताबिक असल है।

श्योताज

सरपंच
ग्राम पंचायत मनेठी
जिला रेवाड़ी

Attested

BDPO
Khol

HARYANA GOVERNMENT
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT
ORDER

No.1036

Whereas in pursuance of resolution No.2 dated 01.02.2019 passed by Gram Panchayat Manethi, Block Khol, District Rewari and recommendation of Deputy Commissioner Rewari vide letter No.841/Panchayat, dated 03.02.2019 and letter No. 837/Panchayat, dated 02.02.2019 for lease of its land in shamilat deh measuring 1600 Kanal (200 Acre) bearing Khasra No. 10//27(106-8), 11//26/2(70-14), 21//28/1(118-14), 22//27(191-7), 23//27(14-3), 26//27(57-10), 27//26(200-0), 28//27/1 (151-17), 39//26(100-7), 40//26(200-0), 41//27(85-10), 44//27(83-16), 45//26(194-18), 46//26(24-16), it was allowed to lease out its land to the Medical Education & Research Department, Haryana for setting up the All India Institute of Medical Science (AIIMS) at village Manethi for a period of 33 years at the rate of Re.1/- per acre per year, vide order No.701 dated 25.10.2016 issued under endst No.SBA-4-2016/100121-25 dated 09.11.2016.

Now, the Medical Education & Research Department, Haryana vide their D.O Letter NoPS/ACS/SBL/-03 dated 01.02.2019, has requested that the land is required to be transferred to Ministry of Health and Family Welfare, Government of India for the said purpose. The Deputy Commissioner, Rewari vide his letter No. 841/Panchayat, dated 03.02.2019 and letter No. 837/Panchayat, dated 02.02.2019, in pursuance of resolution No.2 dated 01.02.2019 of Gram Panchayat Manethi, has recommended that Gram Panchayat may be allowed to lease out its land to Ministry of Health and Family Welfare, Government of India instead of Medical Education & Research Department, Haryana for setting up the All India Institute of Medical Science (AIIMS). The request of Medical Education & Research Department, Haryana, and resoulation dated 01.02.2019 of Gram Panchayat Manethi and the recommendations of the Deputy Commissioner, Rewari were considered.

Now, therefore, in supersession of 701 dated 25.10.2016 issued under endst No SBA-4-2016/100121-25 dated 09.11.2016, the Governor of Haryana is pleased to accord approval to the Gram Panchayat Manethi for lease of its land in shamilat deh measuring bearing Khasra Nos. as mentioned above at the rate of Re.1/- per acre per year for a period of 99 years to Ministry of Health and Family Welfare, Government of India instead of Medical Education & Research Department, Haryana for setting up thte All India Institute of Medical Science (AIIMS) at village Manethi under rule 6(5) of the Punjab Village Common Land (Regulation) Rules, 1964, subject to the following terms and conditions:-

1. Before execution of lease deed, the Gram Panchayat shall ensure that-
   (i) the land utilization plan has been prepared as per provisions of law.
   (ii) the proposed land vests in the Gram Panchayat and there is no restrictive order passed by any competent court of law.
   (iii) the proposed land is not recorded or reserved for johar.
   (iv) there is appropriate passages/access to the remaining/abutting land of Gram Panchayat.
   (v) the resolution for lease of land is passed by 3/4th majority of the members of Gram Panchayat.
2. Annual lease money shall be deposited regularly in advance by the lessee.
3. The trees standing on the proposed land shall continue to vest in the Gram Panchayat and shall be disposed of by the Gram Panchayat in accordance with the provision of laws as per requirement of the lessee.
4. The Gram Panchayat will not be responsible for levelling the uneven site or for getting any kind of No Objection Certificate/Clearance Certificate from any other department of State Government or Government of India.
5. The land shall be used for the purpose for which it is leased and shall not be used for any other purpose.
6. The lessee shall put the lease land to the permitted use within five years from the date of commencement of the lease period. However, this lease period can be extended for another two years in genuine cases.
7. The lessees shall not further transfer or sub lease the land.
8. In case of breach of any of the condition by the lessee, the lease shall automatically be deemed to be cancelled/ revoked and land shall revert back to the Gram Panchayat.
9. This approval order shall be valid to act upon within a period of one year from the date of its issuance.
10. State Government may further impose any other condition as it may deem fit in the interest of inhabitants of the village concerned or public at large.

The lease deed shall be executed by the Sarpanch and Panches duly authorized by the Gram Panchayat as provided under Rule 6(1) of the Punjab Village Common Lands (Regulation), Rules, 1964 and on the terms and conditions as mentioned above.

Sudhir Rajpal
Principal Secretary to Government, Haryana,
Development and Panchayats Department.

Dated, Chandigarh the
09.02.2019

Dated: 14.02.2019

Endst. No. SBA-4-2019/11537-46

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, New Delhi.
2. The Additional Chief Secretary to Government Haryana, Medical Education & Research Department, Haryana.
3. The Director General, Medical Education & Research Department, Haryana.
4. The Deputy Commissioner, Rewari
5. The District Development and Panchayat Officer, Rewari.
6. The Block Development and Panchayat Officer, Khol, District Rewari.
7. District Health & Family Welfare Officer, Rewari.
8. Gram Panchayat Manethi, Block Khol, District Rewari through its Sarpanch.

Deputy Commissioner